क्र०सं० (क)	एक्सचेंज 30 चैनल 2 जीएचजैड	मार्ग (डी) / माइक्रोवेव	जिला
16.	काडी	मेहसाना-काडी	मेहसाना
17.	झालोड	रहोड-झलोड	गोधरा
18.	वंकानेर	वंकानेर-राजकोट	राजकोट
19.	मालपुर	मदासा-मालपुर	हिम्मतनगर
20.	कोसाम्दा	केआईएम-कोसाम्दा	सूरत
21.	महूवा	बड़दोली-महूवा	सूरत
22.	सचिन	सूरत-सचिन	सूरत
23.	दमन (संघ राज्य क्षेत्र)	वापी-दमन	वलसाड

Commissioning of Electronic Boards in Telephone Exchanges in Madhya Pradesh

6363. SHRI DILIP SING JUDEV: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) the number of electronic boards commissioned in telephone exchanges in Madhya Pradesh, particularly in Chhatisgarh area during 1991-92, 1992-93 and 1993-94;

(b) whether new electronic boards set up in Jaspur, Raigarh, Sarguja and Chhatisgarh have not yet been commissioned so far;

(c) if so, the reasons therefor; and

(d) by when these are likely to be commissioned?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI SUKH RAM): (a) the number of electronic exchanges opened in Madhya Pradesh and particularly in Chhatisgarh area are as detailed below:—

Year	New Electronic Exchanges opened in M.P.	New Electronic Exchanges opened in Chhatisgarh area
1991-92	308	61
1992-93	387	73
1993-94	383	42

Chhatisgarh area comprises of Raipur, Bilaspur, Durg, Rajnandgaon, Bastar, Sarguja and Raigarh districts.

(b) All the new electronic exchanges have been commissioned. The details are given in the enclosed statement. (*see* below)

(c) and (d) Does not arise.

Statement

New Electronic Exchanges set up in Chhatisgarh Area during 1993-94

S.No.	Station	Type	Date of Installation
1.	Jashpur Nagar	ILT 512	20.2.94
2.	Raigarh	1K C. DOT	20.2.94
		1.4K C. DOT	24.3.94
3.	Ambikapur	400L C. DOT	31.1.94
		3×256P C DOT	26.3.94
4.	Sakti	EIL 384	20.12.94
5.	Pendra Road	EIL 384	14.3.94
6.	Sarangarh	EIL 384	29.10.94
7.	Pathalgaon	EIL 384	29.10.94
8.	Kotma	EIL 384	5.2.94
9.	Bhilai	E10B+1K RLU	24.12.93
		1K RLU	25.3.94
10.	Jagdalpur	1K C. DOT	26.12.93
11.	Manendragarh	EIL 384	1.2.94
12.	Baikunthpur	EIL 384	24.3.94
13.	Surajpur (Sarguja)	EIL 384	31.3.94
14.	Mahasamund	C.DOT 1K	24.1.94
15.	Durg	E10B 1000	25.3.94

S.No.	Station	Type	Date of Installation
16.	Champa	EIL 384	28.3.94
17.	Bilaspur	ECI 5000	17.3.94
18.	Saraipalli	EC 2 400	30.9.94
19.	Dhamtari	EC 2 1400	10.2.94
20.	Raipur City	E-10B RLU 920	24.3.94
21.	Raipur Fafadih	E-10B RLU 1000	16.1.93
22.	Raipur Civil Lines	E-10B RLU 1100	24.3.94
23.	Bhatapara	EC 2 1000	25.2.94

ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाएं

6364. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त संचार सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उपलब्ध क्षमता का उपयोग करने की दृष्टि से रेलवे और दूरसंचार नेटवर्क में विभिन्न राज्यों के विद्युत बोर्डों के लिए आप्टिक फाइबर नेटवर्क का इस्तेमाल करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार किसी विदेशी कम्पनी के साथ संयुक्त उपक्रम लगाये जाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) जी हां। सिर्फ रेलवे से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिस पर विचार किया जा रहा है।

(ख) रेलवे ने अपने प्रस्ताव में नागपुर-दुर्ग, नागपुर-इटारसी, नागपुर-भुसावल और चर्चगेट (बम्बई)-वरार खण्डों में आप्टिकल फाइबर नेटवर्क के प्रयोग का उल्लेख किया है।

(ग) और (घ) जी हां, दूरसंचार विभाग की सिफारिश के आधार पर उद्योग मंत्रालय ने आप्टिकल फाइबर केबल के विनिर्माण के लिए एक संयुक्त उद्यम लगाने का अनुमोदन कर दिया है।

डाक सेवाओं के संबंध में "लाल समिति"

6365. **श्री अजीत जोगी:** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एकाधिकार डाक सेवा समाप्त करने के लिए "लाल समिति" नामक एक समिति गठित की है;

(ख) क्या उक्त समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन सिफारिशों में से प्रत्येक पर क्या कार्यवाही की गई है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) से (घ) सरकार ने सितम्बर, 1987 में भारत सरकार के सेवानिवृत्त सचिव, श्री एस०बी० लाल की अध्यक्षता में डाक सेवाओं में उत्कृष्टता पर एक समिति सितम्बर, 1987 में गठित की थी। इस समिति ने सितम्बर, 1989 में अपनी रिपोर्ट दे दी थी। समिति की एक सिफारिश यह थी कि सरकार को पत्र लाने-लेजाने से संबंधित डाक विभाग के अनन्य विशेषाधिकार को खत्म कर देना चाहिए। डाक उत्कृष्टता समिति की इस सिफारिश की डाकघर अधिनियम पुनरीक्षा समिति ने भी जांच की थी जिसने इस क्षेत्र में डाक विभाग के अनन्य विशेषाधिकार को समाप्त करने की सिफारिश नहीं की। इन सिफारिशों पर सरकार द्वारा कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

स्थानीय काल के लिए मीटर व्यवस्था

6366. **श्री अजीत जोगी:** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 16 जून, 1992 से दिल्ली, बम्बई और मध्य प्रदेश में स्थानीय कालों के लिए मीटर व्यवस्था लागू कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि पांच मिनट की समय-सीमा बहुत कम है;

(घ) क्या सरकार लोकल कालों की समय-सीमा को पांच मिनट से बढ़ा कर दस मिनट किये जाने का विचार रखती है; और